



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक: S/2 प्रवर्तन जोन-5/2017
सेवा में,

दिनांक 26 / 10 / 2017

मै0 अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि0

10-न्यूराजधानी एन्कलेव विकास मार्ग
दिल्ली-110092

विषय:-मै0 अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि0 पत्र दिनांक 21.09.2017 द्वारा ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद में विकसित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप आदित्य वर्ड सिटी के स्वीकृत तलपट मानचित्र में गुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 जी0एच0-01 पर निर्मित टावर सं0-एच0(दुकानों) के आंशिक सम्पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

मै0 अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि0 द्वारा ग्राम शाहपुर बम्हैटा गाजियाबाद के अंतर्गत विकसित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के भूखण्ड सं0 जी0एच0-01 पर निर्मित टावर सं0-एच0(दुकानों) के आंशिक सम्पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के अनुरोध दिनांक 21.09.2017 एवं प्रस्तुत आवश्यक प्रमाण पत्रों का परीक्षण अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया। प्रश्नगत टावर के सम्पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत विस्तृत आख्या पर उपाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.2017 को दिये गये अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 15क(2) के अंतर्गत भूखण्ड संख्या जी0एच0-01 पर निर्मित टावर सं0-एच0(दुकानों) का आंशिक सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तावित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ जारी किया जाता है।

शर्तें/प्रतिबन्ध

1. पूर्व स्वीकृत मानचित्र में दार्शित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
2. मूल स्वीकृति में अंकित सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए भूखण्ड संख्या जी0एच0-01 पर निर्मित टावर सं0-एच0(दुकानों) के निर्माण के उपरान्त भवनों का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाते समय आंशिक सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले भाग का तकनीकी/स्थलीय परीक्षण का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
4. भवन के स्ट्रक्चरल/एलिवेशन सैफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजी/बिल्डर की होगी। यदि इसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर/आर0डब्ल्यू0ए0 की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
6. समस्त रोपित वृक्षों के रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी आर0डब्ल्यू0ए0/बिल्डर की होगी।
7. अपार्टमेंट एक्ट-2010 एवं यू0पी0 अपार्टमेंट नियमावली -2011 के प्राविधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी।
8. श्रम विभाग द्वारा लेबर सेस के मद में यदि अवशेष धनराशि की मांग की जाती है तो अवशेष धनराशि को जमा कराने का उत्तरदायित्व स्वयं बिल्डर का होगा।
9. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। कोई अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।

10. किसी भी विपरीत परिस्थिति में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तदायित्व निर्माणकर्ता को होगा।
11. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढ़े हुये विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह शुल्क निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
12. बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने पर सीवर कनेक्शन एवं वाटर कनेक्शन की अनुमति गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त करने का दायित्व निर्माणकर्ता एजेन्सी का होगा।
13. State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P. द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में इंगित शर्तों का अनुपालन करना होगा।

भवदीय

(सुहैल अहमद फरीदी)
प्रभारी प्रवर्तन जोन-5